Court of Spl. Judge, CBI- 1st, Patna
Spl. 13/25, RC 30(A)/25
CIS-1/26
CBI v/s Manoj Kumar Yadav

बाद में

12.01.2026 आवेदक काराधीन अभियुक्त **मनोज कुमार यादव,** पेसर स्व. राजदेव यादव, निवासी ग्राम– करौंधि, थाना– लंका, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन दिनांक 19.12.2025 पर सुनवाई हेतु अभिलेख प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन का संक्षिप्त मामला है कि अभियुक्त मनोज कुमार यादव, निरीक्षक, आर पी एफ रेल थाना, नवगछिया भागलपुर, बिहार ने भारतीय रेवले की भूमि पर कृषि कार्य करने की अनुमति देने के बदले शिकायतकर्ता श्री अरमान अंसारी, से 20,000/– रूपये की मांग करके संज्ञेय अपराध किया है। आगे की चर्चा के दौरान यह भी पता चला कि शिकायतकर्ता ने दिनांक 16.10.2025 को एक आरपीएफ कांस्टेबल के माध्यम से 60,000/– रूपये रिश्वत पहले ही दे दी थी। जिसके पश्चात मनोज कुमार यादव के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (2018 में संशोधित) की धारा 7 के तहत यह नियमित मामला दर्ज किया गया है तथा श्री संजय कुमार, निरीक्षक, सी. बी.आई., ए.सी.बी. पटना को अनुसंधान के लिए सौंपा गया है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि इस वाद के सूचक अरमान अंसारी है, जिनके लिखित शिकायत पर आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध RC Case No. 30(A)/25 u/s 7 PC Act 1988 (as amended in 2018) के अंतर्गत दर्ज किया गया है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 31.10.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक अभियुक्त लोक सेवक हैं। काराधीन अभियुक्त का इस केस अलावे और को कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्त की ओर से पूर्व में इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में कोई जमानत आवेदन अथवा अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त निर्दोष है तथा अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है। अभियोजन सीबीआई द्वारा लगाया गया आरोप आधारहीन एवं मनगढंत है। आवेदक काराधीन अभियुक्त न्यायालय द्वारा दिये गये सभी शर्तों का पालन करेगा। अतः निवेदन है कि आवेदक काराधीन अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

सीबीआई के विद्वान लोक अभियोजक, काराधीन अभियुक्त के जमानत का विरोध करते हैं। विद्वान लोक अभियोजक का कहते हैं कि अभियुक्त के विरूद्ध रिश्वत की मांग करने तथा स्वीकार करने का आरोप है। अभियुक्त को रिश्वत की राशि 20000/– रूपया लेते हुए दिनांक 30.10.2025 को गिरफ्तार किया गया है। इसलिए निवेदन है कि काराधीन अभियुक्त मनोज कुमार यादव का उपरोक्त जमानत आवेदन खारिज किया जाय।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस मामले के काराधीन अभियुक्त मनोज कुमार यादव के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (2018 में संशोधित) की धारा 7 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस वाद में अनुसंधानकर्ता द्वारा आवेदक काराधीन अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 24.12.2025 को u/s 61(2) BNS and sec. 7 PC Act 1988 (as amsnded in 2018) के अन्तर्गत आरोप पत्र दाखिल किया गया है। आरोप पत्र में लगाये गये आरोप में अधिक्तम 07 वर्ष एवं जुर्माना तक की सजा का प्रावधान है। आवेदक काराधीन अभियुक्त दिनांक 30.10.2025 से कारा में निरूद्ध हैं। अभियोजन सीबीआई का प्रतिउत्तर प्राप्त है। आवेदक काराधीन अभियुक्त लोक सेवक हैं, जो निरीक्षक के पद पर आर.पी.एफ. पोस्ट, नवगछिया, भागलपुर में पदस्थापित थे। अभियुक्त के भागने एवं सबूतों/साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई सम्भावना नहीं है, अभियोजन स्वीकृती आदेश अभी तक सीबीआई अभियोजन द्वारा दाखिल नहीं किया गया है, जिसके कारण अपराध का संज्ञान लिया जाना संभव नहीं है तथा वाद बिना अभियोजन स्वीकृति आदेश के गतिशील नहीं हो सकता है। अनुसंधान पूर्ण है। इसलिए 167 Cr.P.C./ 187 BNSS में रिमांड की आवश्यकता नहीं है कि और 209 Cr.P.C./ 189 BNSS में रिमांड के लिए अपराध का संज्ञान होना आवश्यक है। चूँकि बिना अभियोजन स्वीकृति आदेश के अपराध का संज्ञान संभव नहीं है। साक्ष्य में छेड़छाड़ की संभावना नहीं बची है क्योंकि अनुसंधान पूर्ण हो चुका है।

Court of Spl. Judge, CBI- 1st, Patna
Spl. 13/25, RC 30(A)/25
CIS-1/26
CBI v/s Manoj Kumar Yadav

लगातार

12.01.2026 अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय का मत है कि उपरोक्त नियमित जमानत आवेदन 19.12.2025 को स्वीकृत करना उचित होगा। अतः काराधीन अभियुक्त मनोज कुमार यादव को 10,000/– रूपये समान राशि के दो मुचलकों के दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि आवेदक अभियुक्त प्रत्येक निश्चित तिथि को उचित पैरवी करेगा। वाद के विचारण में सहयोग करेगा। न्यायालय के पूर्व अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जायेगा तथा अपना पता नहीं बदलेंगे। आवेदक काराधीन अभियुक्त मनोज कुमार यादव बंधपत्र दाखिल करें।

लेखापित

(अविनाश कुमार)
विशेष न्यायाधीश सी.बी.आई.–I

बाद में

13.01.2026 काराधीन अभियुक्त मनोज कुमार यादव की ओर से बंधपत्र दाखिल किया गया है, जिसे जॉचोपरांत सही पाकर स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय मुक्ति आदेश निर्गत करें।

लेखापित

विशेष न्यायाधीश सी.बी.आई.–I